दिनांकः 17.06.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस गैंगस्टर का वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 13.11.2025 को वादी तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर के द्वारा अनुमोदितशुदा गैग चार्ट के आधार पर थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर मु0अ0स0 601/25 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट विरुद्ध रणवीर सिह उर्फ अभय पुत्र भूप सिह निवासी ग्राम हेयायाजरा थाना मुलाना जनपद अम्बाला आदि 13 नफर अभियुक्तगणो के विरुद्ध पंजीकृत किय गया था।

*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग व गश्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री हृदय नारायण सिह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मुकदमें में **वांछित अभियुक्त विशाल उर्फ शालू पुत्र भूपेन्द्र निवासी ग्राम धनौरा थाना मुलाना जनपद अम्बाल (हरियाणा)** को हाईवे सरसावा कट सरसावा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

विशाल उर्फ शालू पुत्र भूपेन्द्र निवासी ग्राम धनौरा थाना मुलाना जनपद अम्बाल हरियाणा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *उ0नि0 श्री निप्पी सिहथाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।*
2. *है0का0 1150 विकास पुनिया थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।*
3. *है0का0 1296 अंकुर थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।*
4. *रि0का0 1098 रोबिन थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।*

दिनांकः09.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

महिला थाना पुलिस द्वारा 01 NBW वारन्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी अपराध के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्रीमती कुसुम भाटी राणा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.07.2026 को महिला थाना पुलिस द्वारा ***01 NBW वारन्टी अभियुक्त नील चावला पुत्र राज कुमार चावला निवासी फ्लेट न0-300 फ्रेन्डस अपार्टमेन्ट-2 फेस-1 जीएमएस रोड थाना पटेल नगर देहरादून*** *को सम्बन्धित वाद सं0 505/23 व मु0अ0सं0-169/22 धारा498ए, 323, 504 आईपीसी 3/4 डीपी एक्ट चालानी महिला थाना स0पुर में जनपद देहरादून उत्तराखण्ड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

नील चावला पुत्र राज कुमार चावला निवासी फ्लेट न0-300 फ्रेन्डस अपार्टमेन्ट-2 फेस-1 जीएमएस रोड थाना पटेल नगर जनपद देहरादून (उत्तराखण्ड)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. *उ0नि0 श्री कावेन्द्र सिंह महिला थाना सहारनपुर ।*
2. *म0उ0नि0 नीतू सिंह महिला थाना सहारनपुर ।*
3. *का0 1081 विवेक कुमार महिला थाना सहारनपुर ।*

दिनांक: 09-07-2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा पत्नी की हत्या के मुकदमें में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त की निशानदेही पर आलाकत्ल चाकू बरामद

अवगत कराना है कि 08.07.2026 को वादी श्री बालकिशन पुत्र बुद्धप्रकाश निवासी गली नं0 02, हरिजन कालोनी कस्बा छुटमलपुर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त सन्नी सैनी पुत्र रमेश सैनी नि0 ग्राम रजापुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की पुत्री मीनू उम्र करीब 32 वर्ष की चाकू मारकर हत्या करने के सम्बन्ध मे थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 271/26 धारा 103(1) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना के तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 08.07.2026 को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में **वाँछित अभियुक्त सन्नी सैनी पुत्र रमेश सैनी नि0 ग्राम रजापुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर** को मुखबिर की सूचना पर रूडकी रोड से रजापुर जाने वाले रास्ता नवनिर्मित कालोनी ओम सिटी के गेट के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशादेही पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित घटना मे प्रयुक्त एक चाकू बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

पूछताछ का विवरण- *अभि0 सन्नी सैनी से पूछताछ करने पर बताया कि मैने 14-15 वर्ष पूर्व मीनू से लव मैरिज की थी। मेरे चार बच्चे है। मेरी पत्नी से कहासुनी होती रहती थी वह नाराज होकर करीब 20 दिन पहले अपने मायके चली आयी थी। मै अपनी पत्नी मीनू को 2-3 बार घर लाने के लिए उसके मायके छुटमलपुर गया था मैने काफी मिन्नते की परन्तु मीनू ने मेरे साथ आने से मना कर दिया तो इसी कारण मैने दो-तीन दिन पहले चाकू खरीदा था, इसके बाद मै मिलने के लिए मीनू के पास आया था और घर चलने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया ओर मेरे साथ झगडा करने लगी तो मैने गुस्से मे आकर चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी और मौके से भाग गया।*

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

सन्नी सैनी पुत्र रमेश सैनी नि0 ग्राम रजापुर थाना फतेहपुर जनपद सहानरपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री विजयपाल सिंह थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. है0का0 1336 प्रशान्त थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
4. रि0का0 796 अमरजीत सिंह थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
5. रि0का0 817 अरुण कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
6. रि0म0का0 829 दीक्षा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

दिनांकः 09-07-2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करों के विरूद्ध कडी कार्यवाही मादक पदार्थ तस्करी पर थाना फतेहपुर पुलिस टीम का करारा प्रहार — 01 तस्कर गिरफ्तार, कुल 229 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में "ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर" अभियान चलाया जा रहा है।

*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे नशीलें पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार मे शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान "**आपरेशन** सवेरा" के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 09.07.2026 को चैकिंग के दौरान **01 नशा तस्कर अभियुक्त बुन्दू उर्फ अजाद पुत्र हासिम निवासी ग्राम अकबरपुर कालसो थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड** को फ्लाईओवर के नीचे ग्राम रजापुर की तरफ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से कुल 229 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 275/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया है अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

बुन्दू उर्फ अजाद पुत्र हासिम निवासी ग्राम अकबरपुर कालसो थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड

बरामदगी का विवरण -

- *229 ग्राम अवैध चरस*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना फतेहपुर सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री सजल कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर*
3. *है0का0 1196 गौरव चौधरी थाना फतेहपुर सहारनपुर*

दिनांकः 09-07-2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करों के विरूद्ध कडी कार्यवाही
थाना फतेहपुर पुलिस टीम का मादक पदार्थ तस्करी पर करारा प्रहार — 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कुल 15.60 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों /नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में "ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर" अभियान चलाया जा रहा है।

*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे नशीलें पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार मे शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान "**आपरेशन** सवेरा" के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 09.07.2026 को चैकिंग के दौरान **01 नशा तस्कर अभियुक्त इस्तिकार पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम भैसराव थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर** को मलायन गेट के सामने बस स्टैण्ड के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से कुल 15.60 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 274/26 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया है अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

इस्तिकार पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम भैसराव थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

- *15.60 ग्राम अवैध स्मैक*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना फतेहपुर सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री बबलू कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर*
3. *है0का0 456 बबलू राणा थाना फतेहपुर सहारनपुर*
4. *का0 412 धनुज कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर*

-प्रेस नोट-

दिनांक: 09-07-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना नांगल, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध की रोकथाम व वाँछित/वारण्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजय कुमार के कुशल नेतृत्व मे आज दिनाँक 09.07.2026 को थाना नांगल पुलिस टीम द्वारा ***01 वारण्टी अभियुक्त कदीम पुत्र महमूद निवासी ग्राम पहाडपुर थाना नागल जनपद सहारनपुर*** *को संबंधित वाद संख्या 2029/23 धारा 125 बीएनएसएस में ग्राम पहाड़पुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

कदीम पुत्र महमूद निवासी ग्राम पहाडपुर थाना नागल जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री संजय कुमार थाना नांगल जनपद सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री संजय राणा थाना नांगल जिला सहारनपुर*
3. *है0का0 1284 धर्मेन्द्र सिंह थाना नांगल जिला सहारनपुर*
4. *का0 2211 राहुल यादव थाना नागल जिला सहारनपुर*

दिनांक 09-07-2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या- 03 जनपद सहारनपुर द्वारा हत्या के मुकदमें में अभियुक्त को आजीवन कारावास व 55,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सुनाई गई सजाः–

अवगत कराना है कि दिनांक 27.02.2024 को वादी राशिद पुत्र मंजूर नि0 मौ0 पीपलतला कस्बा व थाना-रामपुर जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1.मुन्तजीर उर्फ मुन्ती पुत्र आबिद 2. नदीम पुत्र आबिद निवासीगण मौ0 पीपलतला कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की के पुत्र शावेज उम्र करीब 29 वर्ष की छुरी से गला काटकर हत्या कर देने की सूचना पर मु0अ0सं0-56/2024 धारा- 302/34 भादवि थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया अभियुक्त की निशादेही पर उपरोक्त अपराध में की गयी हत्या से संबंधित छुरा बरामद हुआ है जिसमें धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की बढोतरी की गयी है। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0-1627/24 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या -03 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद सहारनपुर के निर्देशन में ***OPERATION CONVICTION*** *में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-03 जनपद सहारनपुर द्वारा* ***आज दिनांक 09.07.2026 को अभियुक्त मुन्तजीर उर्फ मुन्ती पुत्र आबिद निवासी मौ0 पीपलतला कस्बा व थाना रामपुर जनपद सहारनपुर को थाना रामपुर मनिहारान पर पंजीकृत मु0अ0सं0-56/2024 धारा- 302/34 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 55,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।***

नोटः- अभियुक्त नदीम पुत्र आबिद नि0 पीपलतला थाना रामपुर मनि0 को दोषमुक्त किया गया .

शासकीय अधिवक्ता- (ए0डी0जी0सी0) श्री दीपक सैनी
विवेचक- निरीक्षक श्री अमित सिह
पैरोकार- है0का0 996 विक्रान्त कुमार थाना रामपुर मनि0 जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 09.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष थाना सरसावा श्री प्रवेश कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.07.2026 को थाना सरसावा पुलिस द्वारा 03 वारंटी अभियुक्तगण 1.अनस पुत्र आस मौहम्मद निवासी ग्राम अगवानहेडा थाना सरसावा सहारनपुर 2.नदीम पुत्र कुतुबुद्दीन निवासी ग्राम अगवानहेडा थाना सरसावा सहारनपुर 3.महफूज पुत्र दाऊद निवासी ग्राम अगवानहेडा थाना सरसावा सहारनपुर (सम्बन्धित वाद सं0-1978/24 व मु0अ0सं0- 197/23 धारा 268,283 भादवि चा0 थाना सरसावा सहारनपुर) को ग्राम अगवानहेड़ा से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता:-

1-अभि0 अनस पुत्र आस मौहम्मद निवासी ग्राम अगवानहेडा थाना सरसावा सहारनपुर ।
2-अभि0 नदीम पुत्र कुतुबुद्दीन निवासी ग्राम अगवानहेडा थाना सरसावा सहारनपुर ।
3- अभि0 महफूज पुत्र दाऊद निवासी ग्राम अगवानहेडा थाना सरसावा सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

1- श्री प्रवेश कुमार थानाध्यक्ष थाना सरसावा सहारनपुर ।
2- उ0नि0 श्री देवकरण शर्मा थाना सरसावा सहारनपुर ।
3- रि0का0 2599 सुधीर कुमार थाना सरसावा सहारनपुर ।
4- रि0का0 2573 जितेन्द्र कुमार थाना सरसावा सहारनपुर ।
5- रि0का0 2583 अखिलेश कुमार थाना सरसावा सहारनपुर ।
6- है0का0 1062 अमित कुमार थाना सरसावा सहारनपुर ।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 09.07.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 03 अवैध तमंचे व 02 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग व गश्त की जा रही है । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री प्रवेश कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.07.2026 को थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 शातिर अभियुक्त **देव पुत्र मेघश्याम निवासी कुतुबपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** को ग्राम कांजीबास से मन्धौर जाने वाली सडक पर से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 03 अवैध तमंचे व 02 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हुए । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना सरसावा पर मु0अ0सं0-225/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

देव पुत्र मेघश्याम नि0 कुतुबपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।

बरामदगी का विवरण

- 03 अवैध तमंचा .315 बोर
- 02 जिंदा कारतूस बरामद .315 बोर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सोनू अली उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 162/2023 धारा धारा 323 भादवि थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।
2. मु0अ0सं0 225/2026 धारा धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार थाना सरसावा सहारनपुर ।
2. उ0नि0 देवेन्द्र पाल तोमर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।
3. हे0का0 661 सम्राट सिंह, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।
4. है0का0 24 सुनील कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।
5. है0का0 599 प्रदीप कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।
6. रि0का0 2290 कासिम अहमद थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।